न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 222/2016

1 श्रीमती शकुन्तला पुत्री चन्दगीराम पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 मु. प्रतिक आयु 16 वर्ष पुत्री धर्मपाल एवं स्व. सुमन जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वलि कुदरती धर्मपाल पुत्र लालमण जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महीपाल सिंह पुत्र अमरचन्द।
2 मु. मुंगली पत्नी अमरचन्द।
3 जगदीश पुत्र अमरचन्द।
4 ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द।
5 राजपाल पुत्र अमरचन्द।
6 भानीराम पुत्र केशाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 हर आम व खास।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी महिपाल
बनाम मुंगली आदि दावा बाबत घोषणा व स्थाई
निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 252/2015 निर्णय व डिक्री
दिनांक 04.08.2016

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 252/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महिपाल सिंह ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अदालत मातहत के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 92, 87 सरहद मौजा बिजोली व जीमल हाल खसरा नम्बर 29 सरहद मौजा बास बिजोली तहत तहसील सूरजगढ़ के बाबत दावा किया। अदालत मातहत ने उपरोक्त दावा को बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निलम पुत्री धर्मपाल नाम का कोई नहीं है। प्रतीक पुत्री धर्मपाल है। दावा दायरी, निर्णय एवं वरवक्त अपील पेश करने के समय अपीलांट नाबालिग थी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विधि अनुसार आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता है। नाबालिग की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति नहीं होने पर विधि में प्रावधान है कि न्यायालय न्याय वली (विधिक सलाहकार) नियुक्त करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इन विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अभिभाषक संघ ने कार्य बहिष्कार कर रखा था। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण स्थानान्तरण हेतु सक्षम स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करने का आदेश भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 1987 पेज 456, आर एल डब्ल्यू 1992 पेज 452 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पदा नहीं होकर स्वअर्जित सम्पदा है। विवादित भूमि तत्कालीन ठिकाना से प्राप्त की गई थी। दिनांक 21.01.2011 को महिपाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित हुई हैं। विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है। इसके उपरान्त अपीलांट को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये गये है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने के संदर्भ में आदेशिका पर अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर करने पर जवाब बंद किया गया है। विचारण न्यायालय के कार्य बहिष्कार के संदर्भ में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। मुंतकिली प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

की सूचना विचारण न्यायालय में निर्णय के उपरांत प्राप्त हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा दायरी, निर्णय एवं वरवक्त अपील पेश करने के समय अपीलांट नाबालिग थी। विचारण न्यायालय द्वारा नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। विधि अनुसार आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता है। नाबालिग की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति नहीं होने पर विधि में प्रावधान है कि न्यायालय न्याय वली (विधिक सलाहकार) नियुक्त करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इन विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1987 पेज नम्बर 456 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि **Civil Procedure Code, Order 9, Rule 13-Held, exparte decree against minor was correctly set aside where court had failed to appoint guardian ad-litem under Order 32, Rule 3-Court is bound to appoint a proper guardian ad-litem for a minor defendant.** ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अभिभाषक संघ ने कार्य बहिष्कार कर रखा था। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण स्थानान्तरण हेतु सक्षम स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करने का आदेश भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर